**न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**
**अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2023**
(GCMS 2023/53)(212435002394535)

**श्री गुरमेल सिंह** पुत्र श्री दमन सिंह निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 74140—37344)

<u>बनाम</u>

**तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**<u>06.06.2024</u>**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** श्री गुरमेल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 23.12.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी गुरमेल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

| |
|---|
| चक 23 एफ पटवार हल्का अरायण के मु.नं. 58 के किला नं. 18, 19, 20 में बोई गई मूंगी की फसल व मु.नं. 58 के कब्जा काश्त की रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी |

**तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक सू.अ./22/1091** दिनांक 03.11.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गुरमेल सिंह पुत्र दमन सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चक 33 एफ के मु.नं. 58 के कि.न. 18, 19, 20 में मूंग की फसल कि वर्ष 2021—22 की काश्त कब्जा रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी चाही गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व /2023/31 दिनांक 10.01.2023 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, को भिजवा दी गई हैं। उक्त सूचना हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 247 दिनांक 03.03.2023 को सूचना भिजवायी जा चुकी है। रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय
-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीकरणपुर

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर ने अपील का जवाब** उक्तानुसार प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।** आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर